भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 417*

दिनांक 28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य पर अपनी जेब से व्यय

†*417. श्री शफी परम्बिलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) परिवारों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या पर अपनी जेब से किए जाने वाले व्यय (ओओपीई) की परिभाषा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्वास्थ्य परिचर्या पर प्रति परिवार अपनी जेब से किए गए व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या पर परिवारों के द्वारा किए जाने वाले ऐसे व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 28.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 417 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते (एनएचए) के अनुसार, परिवार द्वारा जेब से किए जाने वाले खर्च (ओओपीई) की परिभाषा स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्राप्त करने के समय परिवार/व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय है। इसमें अंतरंग रोगी परिचर्या, बहिरंग रोगी परिचर्या, प्रसव, प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी), प्रसवोत्तर परिचर्या (पीएनसी), परिवार नियोजन उपकरण, चिकित्सीय उपकरण, रोगी के परिवहन पर व्यय, टीकाकरण, काउंटर दवाएं और अन्य चिकित्सा व्यय (जैसे, रक्त, ऑक्सीजन, आदि) जैसे सभी व्यय शामिल हैं; और जो किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति (बीमा/परोपकारी दान आदि) के अतिरिक्त हैं।

(ख) : राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (एनएचए) प्रति परिवार स्वास्थ्य सेवा पर जेब से किए व्यय का रिकार्ड रखता है।

(ग) : एनएचए के अनुमान के अनुसार, कुल स्वास्थ्य व्यय (टीएचई) के प्रतिशत के रूप में ओओपीई वर्ष 2014-15 में 62.6% से लगातार घट कर वर्ष 2021-22 में 39.4% हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 29.0% और वर्ष 2021-22 में 48.0% थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्ल्यू) ने राज्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन को प्राथमिकता देने और उनके स्वास्थ्य बजट को कुल राज्य बजट का कम से कम 8% बढ़ाने का भी मुद्दा उठाया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन वर्ष 2017-18 (बीई) में 47,353 करोड़ रुपए से 102.64% बढ़कर वर्ष 2025-26 (बीई) में 95957.87 करोड़ रुपए हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 से वर्ष 2025-26 तक की अनुदान अवधि के लिए स्थानीय सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है।

केंद्र सरकार ने लोगों को गुणवत्तापरक और किफ़ायती स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने और ओओपीई को कम करने के लिए राज्यों के प्रयासों को पूरा करने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों की सहायता करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के प्रचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रह रहे समूहों के लिए गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और सुलभता में सुधार के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आने वाले रोगियों के

ओओपीई को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क औषधि सेवा पहल और राष्ट्रीय निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है। विशेष रूप से ग्रामीण और अल्प सेवित क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर रह रहे समूहों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए, देश में सरकार द्वारा एनएचएम के तहत विभिन्न पहल की गई हैं, जिनमें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का संचालन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाओं के लिए सहायता, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशाकर्मी, 24x7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधा केंद्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत जन औषधि केंद्र (जेएके) कैंसर रोधी दवाओं सहित अन्य सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं। पीएमबीजेपी योजना के तहत 2,047 दवाइयाँ और 300 सर्जिकल, मेडिकल उपभोग्य वस्तुएँ और उपकरण उपलब्ध हैं।

किफ़ायती और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (एएमआरआईटी), पहल कैंसर सहित अन्य किफ़ायती दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। दिनांक 28.02.2025 तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 222 अमृत फ़ार्मेसीज़ हैं, जो कैंसर सहित 6500 से अधिक दवाइयाँ पर्याप्त छूट पर विक्रय रही हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमज़ोर निचले स्तर के 40% में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के लिए है। एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने व्यय पर लाभार्थी आधार का और अधिक विस्तार किया है। हाल में 4.5 करोड़ परिवारों से जुड़े 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, की वय वंदना कार्ड के साथ एबी-पीएमजेएवाई में शामिल करके इस योजना का विस्तार किया गया है।

*****